न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख के जो इस हुक्म की तामील में जारी
24/09/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी वास्ते आदेश मिसल दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।	
08/10/2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। मूल प्रा0 पत्र टी0 आई0 पर बहस वकुलाय पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टी0 आई0 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए टी0 आई0 कन्फर्म करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रा0 पत्र टी0 आई0 मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।	

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, जवाब प्रा0 पत्र एवं पेशशुदा प्रा0 पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित आराजी ख0नं0 2332, 2334, 2376/1, 2378, 2379, 2381, 2386, 2387, 2388, 2422 कुल किता 10 कुल रकबा 4.28 है0 के 1/16 हिस्से एवम् ख0नं0 2343 रकबा 1.02 है0 के 1/24 हिस्से की खातेदारी पूर्व में गणेश पुत्र भूरा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उक्त गणेश पुत्र भूरा ने उक्त भूमियों का वैध अफल प्राप्त कर दिनांक 21.05.1997 को प्रतिवादी जगदीश के हक में विधिवत विक्रय लेख पंजिकृत कराकर कब्जा संभला दिया था। प्रार्थी धुड़ाराम अपने दत्तक पिता गणेशराम पुत्र भूरा की उक्त विक्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्त खातेदार बताते [illegible] जगदीश का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने [illegible] घोषणा का वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया हैं। पक्षकारान के हक–अधिकारों का निर्धारण [illegible] वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना हैं। वकील प्रार्थी प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा हैं एवं प्रार्थी ने दिनांक 26.06.2018 को स्थगन प्राप्त करने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा नं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदिनांक तक अप्रार्थी सं0 3 की तामील नही करवायी हैं जिस कारण प्रार्थी द्वारा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना भी नही की गई हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नही बढाया जाकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।	
	(राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	
	राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested